RCMS : 2020/00024

13/2020

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

श्रीमान जी,

निवेदन है कि श्रीमान् जिला कलक्टर एवं जिला पंजीयक, श्रीगंगानगर के आदेश क्रमांकः–पंजी/11/2338 दिनांक 23.11.2011 द्वारा श्रीमान् जी को बन्द वसीयत प्रार्थना पत्र एवं बन्द वसीयत खुलवाने बाबत् अधिकृत किया हुआ है। जिसकी पालना में उक्त बन्द वसीयत को खोलने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रार्थी श्री निरंजन कुमार पुत्र श्री किशन लाल निवासी म.नं. 1129 वार्ड नं0 13 स्कूल नं0 4 के पास पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र, मूल रसीद, मृत्यु प्रमाण पत्र, वारिसनामा(सागरराम), आई डी प्रूफ पेश कर निवेदन किया है कि मेरी ताई भवंरी देवी पत्नी सागरमल जाति भाट निवासी वार्ड नं0 13 स्कूल नं0 4 के पास पुरानी आबादी तहसील व जिला श्रीगंगानगर ने दिनांक 23.08.2012 को वसीसत कस्टडी में रखवाई थी। प्रार्थी की ताई का देहान्त दिनांक 15.11.2015 को हो चुका है। उनके द्वारा दिनांक 23.08.2012 को रखवाई गयी बंद वसीयत खोला जाकर निष्पादन की कार्यवाही हेतु निवेदन किया।

प्रार्थी को गवाहान ओमप्रकाश पुत्र मदनलाल एवं राजकुमार पुत्र भागीरथ ने पहचाना। प्रार्थी व गवाहों की पहचान अधिवक्ता श्री एल.एन. लिम्बा द्वारा की है। अतः नियमानुसार एवं विधिसम्मत कार्यवाही से निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वसीयत खोले जाने हेतु आदेशार्थ प्रस्तुत है।

अवलोकनार्थ एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है।

20/1/20

जिला पंजीयक महोदय